न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

36

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2546/PBR/2013 – विरूद्व आदेश दिनांक 15–4–2013 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 245/2010–11 अपील

इस्मायल खॉ बल्द ताज खॉ
ग्राम भोरासा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा , मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

अशोक कुमार बल्द हरीशॅकर
निवासी मण्डी बामौरा तहसील
बीना जिला विदिशा म0प्र0 ———अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम0एस0ठाकुर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 245/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–4–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार कुरवाई को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम भौंरासा की भूमि नंबर 935/3 रकबा 1.349 है0

(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पूर्व में उसके नाम थी किन्तु अब किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि भूमि पर उसका संतरा, मौसमी का वगीचा लगा है । अनावेदक के यहॉ उसके व्दारा कर्ज लेकर भूमि गिरबी रखी थी किन्तु उसने नियत पर पूरी धनराशि लेने मना करते हुये अपना नामान्तरण करा लिया है इसलिये जॉच की जाकर उसके मौके पर कब्जे के कारण कब्जा दर्ज किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 20 अ–6–अ / 08–09 दर्ज किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 27–9–10 पारित किया तथा खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के समक्ष अपील कमांक 77 / 10–11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20–1–11 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया एंव अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 245 / 2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–4–13 अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3 / निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। लिखित तर्को पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4 / उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का आवेदक एंव अनावेदक के बीच विकयनामा हुआ है और यह भी प्रमाणित है कि विकय पत्र के आधार पर अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हुआ है अर्थात वादग्रस्त भूमि अनावेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है। इसी भूमि पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 20 अ–6–अ / 08–09 में पारित आदेश दिनांक 27–9–10 से आवेदक का कब्जा दर्ज किया है। विचार किया जाना है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का बेजा कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध

में अनुविभागीय अधिकारी ने चन्दन सिंह विरूद्व कृपाल सिंह 2006 राजस्व निर्णय 104 एंव रामस्वरूप बनाम कलावती तथा अन्य 2007 राजस्व निर्णय 199 का अवलम्बन लेते हुये निर्णीत किया है कि धारा 115 सहपठित 116 के अधीन कब्जा लिखने के सम्बन्ध में किसी मामले का निराकरण नहीं किया जा सकता है एंव किसी व्यक्ति के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं लिखा जा सकता है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 245/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–4–13 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–1–11 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है , जिसके कारण अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15–4–13 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 245/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–4–13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर